डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः प्रशा./89/2025 दिनांकः 08/04/2025

कार्यालय आदेश

मा॰ कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.04.2025 के अनुपालन में गत वर्ष की भाँति दिनांक 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न बाबा साहब डॉ॰ भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश सं. 769/सत्तर –3–2025–1913811 लखनऊ, दिनांक 28.03.2025 में दिए गए निर्देश एवं मा॰ कुलपति के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क आगरा में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दो सदस्यों को नामित किया गया है जोकि निम्नवत् हैः–

1. **प्रो0 बी0एस0 शर्मा – अधिष्ठाता**
2. **प्रो0 रनवीर सिंह – संयोजक**

उपरोक्त सदस्यों से अनुरोध है कि शासन के निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करने के साथ ही प्रतियोगिताएं आयोजन कर कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संचालन कराते हुए विजेता छात्र की सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे दिनांक 14.04.2025 से पूर्व सूचना राजभवन लखनऊ भेजी जा सके।
संलग्नः– यथोपरि।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
2. विभागाध्यक्ष/निदेशक, समस्त आवासीय संस्थान।
3. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय के साथ प्रेषित कि भारत रत्न बाबा साहब डॉ॰ भीमराव आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कराते हुए सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय के प्रो॰ बी॰ एस॰ शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग के Whatsapp सं॰ 7302700496 एवं संयोजक प्रो॰ रनवीर सिंह के Whatsapp सं॰ 8004274589 पर भेजने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा॰ कुलपति जी के सूचनार्थ ।
5. समिति के सदस्यगण।
6. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
7. अभिलेख खण्ड।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

उच्च शिक्षा अनुभाग-3-Higher Education Department

महत्वपूर्ण

संख्या-769/सत्तर-3-2025-1913811

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   उच्च शिक्षा,
   उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।

ई-मेल
आ• कार्यवाही हेतु:
DR (Admin)

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2025

कुलसचिव
28/03/25

विषयः स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

570
29/03/25

2084
29/4/25

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-127/90 सं-2-2025, दिनांक 19.03.2025 एवं पत्र संख्या-136/90-सं-2-2025, दिनांक 25.03.2025, जो समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त :।

भवदीय,

Signed by
Surya Prakash Mishra
(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव
Date: 28-03-2025 14:52:22

संख्या...7249.../सत्तर-3-20

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"
अति महत्वपूर्ण
संख्या- 127 /90-सं-2-2025

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 506 /2025
21.3.25

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक: 19 मार्च, 2025

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 मा०स०/90/सं०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 एवं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21-11-2024 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष-पर्यन्त उत्सव के रूप में मनाये जाने वाले कार्यक्रमों के समन्वय हेतु संसदीय कार्य विभाग नोडल विभाग नामित है। तत्क्रम में आगामी 14-04-2025 (बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती) से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी अम्बेडकर जयंती समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक की विशिष्ट तिथियों पर प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा- प्रार्थना सभा आदि के पश्चात "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/ एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर बाबा साहेब बी0आर0 आंबेडकर की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बड़ा चित्र लगाकर उसपर माल्यार्पण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस हेतु प्रत्येक गैर सरकारी अथवा सरकारी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।

(iii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

21/03/25
N. 77/...(...)/ 26/3/25
DS
26/03/25
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।
27.03.2025

(iv) प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में प्रार्थना सभा के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार / कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय। स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुद्दे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद / सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।

(v) यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/ खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपनी कार्य योजना अधिकतम तीन कार्य दिवसों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 127 (1)/90-सं-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव , न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव ,चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रमुख सचिव ,व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
13- प्रमुख सचिव ,कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गौरव कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या 769-वि /सत्तर-3-20

संख्या 676/UPPSHED/2025
दिनांक 26-3-025

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

अति महत्वपूर्ण

संख्या-136/90-सं०-2-2025

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांकः 25 मार्च, 2025

विषयः स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-127/90-सं०-2-2025 दिनांक 19-03-2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के अर्द्धशा०पत्र दिनांक 20-11-2024 तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22-11-2024 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आपसे आगामी 14-04-2025 (बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती) से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने हेतु पत्र में उल्लिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना अधिकतम तीन कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 19-3-2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपनी कार्य योजना आज ही संसदीय कार्य विभाग को पत्र एवं ईमेल आई०डी०- sansadeeya1@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

No- 77/VS(RG)/HE/25

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

26/03/25
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।

27.03.2025

संख्या-136 (1)/90-सं-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- अपर मुख्य सचिव बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

10- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

12- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

13- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गौरव कुमार)
विशेष सचिव।

ई-मेल
आ० कार्यवाही हेतु
Dr. Adamm/ PSW

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3- प्राचार्य, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव 01/04/2025

पत्रांक: डिग्री विकास / /6 / 2024-25 दिनांक: [illegible]

विषय: स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब डॉ० भीमराव आम्बेडकर जयन्ती दिनांक 14.04.2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14.04.2025 से 28.04.2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या -769/सत्तर-1-2025 [illegible] दिनांक 28 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14.04.2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14.04.2025 से 28.04.2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने की कार्ययोजना में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में शासन का पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्नक - उक्तवत।

भवदीय

(डॉ० अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

586
03/04/2025

पृष्ठांकन संख्या: डिग्री विकास/ /6 /9 / उसी तिथि को।
प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग [illegible] उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को [illegible]

(डॉ० अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
[illegible]

महत्वपूर्ण

संख्या-769/सत्तर-3-2025-1913811

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 — लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2025

विषय: स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयन्ती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 127/90-सं-2-2025, दिनांक 19.03.2025 एवं पत्र संख्या-136/90-सं-2-2025, दिनांक 23.03.2025 जो समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by
एस0पी0 मिश्र
Date